राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 146वीं बैठक के कार्यवृत्त

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम की कार्यवाही के चलते राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में किसी भी जगह पर 50 अथवा इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होने के कारण जून, 2020 तिमाही की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 146वीं बैठक का आयोजन वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से करने का सर्वसम्मति से स्टियरिंग समिति में निर्णय लिया गया ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अनुपालना की जा सकें। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 146वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री कुंजीलाल मीना, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार, श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, डॉ. ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, श्रीमती अर्चना सिंह, आयुक्त, उद्योग, श्रीमती सुचि त्यागी, एसएमडी, एलपी व एसएचजी, राजस्थान सरकार, श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री अमिताभ चटर्जी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया. उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की एवं कोरोना महामारी के कारण एसएलबीसी की जून 2020 की तिमाही बैठक वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने में सभी हितग्राहियों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) के निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा जून, 2020 त्रैमासिक में 7 उप समितियों की बैठक भी आयोजित की गयी एवं स्टियरिंग समिति की दसवीं बैठक का आयोजन दिनांक 15.09.2020 को किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची एवं नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 146वीं बैठक के लिए संक्षिप्त एवं सुगठित कार्यसूची को तैयार किया गया हैं.

राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एसएलबीसी के समस्त हितग्राहियों को धन्यवाद प्रदान किया. साथ ही सभी बैंकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में नयी ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं राज्य व केंद्र सरकार के समन्वय के साथ समस्त पैरामीटर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अनुरोध किया. तत्पश्चात उन्होने समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के

विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सम्माननीय मंच पर राज्य सरकार और वरिष्ठ बैंकर्स के साथ उपस्थित होकर विचार साझा करने में अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है.

COVID-19 महामारी के इस कठिन समय में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र व राज्य के निर्देशों पर बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों पर निम्नानुसार प्रकाश डाला:-

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना:** Corona Virus का संक्रमण दुनियाभर में तेजी से फैल रहा हैं जिसका सीधा असर लोगो की सेहत के साथ-साथ उनके आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा हैं. इस बीच केन्द्र सरकार ने ऐसे लोगो की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया, जिसके तहत उन्हें राशन, महिलाओं के Empowerment के लिए उनके PMJDY खातों में 500 रू. की राशि 3 महीने बतौर सहायता जमा की है. सरकार ने किसानों को PM-KISAN योजना के तहत सहायता प्रदान की जो की DBT के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गयी. इन लाभार्थियों को राशि पहुंचाने में बैंक शाखाओं में कार्यरत अधिकारियो एवं उनसे जुड़े हुए बैंक मित्रों (BC) की अहम भूमिका रही है।
- इस महामारी की विषम परिस्थिति को अवसर में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आर्थिक राहत पैकेज राशि रू 20 लाख करोड़ के रूप में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की शुरूआत की है ऐसी चुनौती के समय में केन्द्र सरकार ने MSME के उत्थान लिए कई घोषणाएं की है जिनमें से प्रमुख हैं:

- Emergency Credit Line Guarantee Scheme **(ECLGS)**: Rs. 3 Lakh Crore Collateral free Automatic Loans for MSME sector,
- Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt- **(CGSSD):** Rs. 20,000 Cr. Subordinate Debt for MSMEs.
- Rs. 50,000 Cr. Equity infusion through MSME fund of funds
- PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi **(PMSVANidhi)**
- New definition of MSMEs
- 2% Interest Subvention of PMMY- Shishu etc.

- **Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)**: राज्य के बैंको ने Emergency Line of Credit Guarantee Scheme (ECLGS) के अंतर्गत दिनांक 11.09.2020 तक राज्य में 1.55 लाख एमएसएमई उद्यमियों को रू 6,300 करोड़ की ECLGS के तहत राशि स्वीकृत (Sanction) की है एवं 96 हजार MSME उद्यमियों को रू 5,000 करोड़ की राशि वितरित (Disbursement) की है.

- **Emergency Credit Line (ECL):** राज्य में दिनांक 05.09.2020 तक समस्त बैंकों ने विशेष ऋण सुविधा प्रदान करते हुए उत्कृष्ट कार्य किया है.

- राज्य में 5.83 लाख कृषकों को राशि रू 2268 करोड़ का कृषि ऋण।
- राज्य में 87 हजार MSME उद्यमियों को राशि रू 4343 करोड़ का MSME ऋण।
- अन्य 19 हजार लाभार्थियों को राशि रू 296 करोड़ विशेष ऋण सुविधा प्रदान की है।

- **Credit Guarantee Scheme For Subordinate Debt - CGSSD:** Stressed MSMEs को पुन: विकसित करने के लिए "Distressed Asset Fund - Subordinated Debt for Stressed MSME's" नाम की योजना भारत सरकार ने लॉच की हैं जिसके तहत Stressed MSMEs के Promoters को Scheduled Commercial Banks द्वारा Credit facility उपलब्ध कराई जावेगी। MSME के बुरे वक्त में हम बैंकर्स को उनका साथ देना चाहिए। अत: उक्त योजना के तहत राज्य में अधिक से अधिक MSME Units के Promoters को इस योजना में Credit सुविधा उपलब्ध करावें।

- **(PM-SVANidhi) पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना:** CORONA वैश्विक महामारी के चलते Lockdown के पश्चात की मुश्किल घड़ी में रेहड़ी-ठेला-पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथियों को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरु करने के लिए राशि रू 10,000 तक की ऋण की सुविधा (PM-SVANidhi) पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है दिनांक 19.09.2020 तक राज्य में Street Vendors को इस योजना के तहत कुल 8,365 लाभार्थियों को राशि रू 6.94 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैं। मैं राज्य सरकार व बैंकों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि वह भी इस योजना का पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करे.

- **KCC Saturation Campaign:** आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्तमान में राज्य में पीएम किसान लाभार्थियों एवं पशूपालक, मत्स्य पालक इत्यादि कों केसीसी प्रदान करने हेतु अभियान (01.06.2020 से 30.09.2020) चलाया जा रहा है। इस अभियान में राज्य में दिनांक 04.09.2020 तक 7.56 लाख कृषकों को राशि रू 9,200 करोड़ का फसली ऋण के रूप में केसीसी प्रदान किया गया है एवं 69 हजार दुग्ध उत्पादकों (Dairy Farmer) को राशि रु. 530 करोड़ का कार्यशील पूंजी (Working Capital) के रूप में केसीसी ऋण प्रदान किया गया है।

- **Financing Facility Under Agriculture Infrastructure Fund (आधारभूत संरचना निधि)**: भारत सरकार ने Agriculture Infrastructure Fund के तहत एक लाख करोड़ रूपये की वित्तपोषण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत देश में फसलों की कटाई के उपरांत प्रबंधन (Management) हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना (Basic Structure) का निर्माण अथवा संवर्धन (Enhancement) किया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी दिया जायेगा. इस योजना के तहत भारत सरकार ने राजस्थान राज्य के लिए 9,015 करोड़ का बजट रखा है जो कि पूरे भारत वर्ष में दूसरे नम्बर पर है जिसके लिए मैं केन्द्र एवं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सभी बैंकर्स से अनुरोध किया कि इस योजना में अधिक से अधिक Credit Facility किसानो को प्रदान करें.

- कृषि आधारभूत संरचना निधि (AIF) एवं राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना के convergence होने से AIF अंतर्गत वित्तीय सुविधा पर 3% तक ब्याज अनुदान एवं राजस्थान सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदान ब्याज अनुदान से राज्य के कृषकों एवं कृषि उदयमियों को लगभग ब्याज मुक्त ऋण प्रदान होगा जो कि राज्य में कृषि

व्यवसाय एवं कृषि निर्यात में प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा । केन्द्र एवं राजस्थान सरकार की इस पहल के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद दिया।

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी 2020 माह में 231 बैंक रहित गांवों की सूची प्रेषित की है जिनके 5 कि.मी. की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है एवं इनका विवरण जन धन दर्शक एप पर अपलोड नहीं हैं, जिसमें से अब केवल 78 गांव शेष रह गए है जिनके 5 कि.मी. की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है एवं विवरण जन धन दर्शक एप पर अपलोड नहीं किया गया हैं। DFS, MoF, GoI नियमित रूप से सभी गांवों में बैंकिंग टच पॉइंट्स की उपलब्धता की प्रगति की नियमित निगरानी कर रहा है. मैं सभी सदस्य बैंकों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे राज्य भर में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द उनके कवरेज की स्थिति को जन धन दर्शन ऐप पर भी अपडेट करे.

  उन्होने राज्य के महत्वपूर्ण बैंकिंग उपलब्धियां (Business Key Parameters) यथा Business Growth, Achievement against benchmark of Priority Sector & its Sub-Sectors etc. पर प्रकाश डाला।

- जून 2020 के अंत में राज्य के सभी बैंकों का Total Business Rs. 8.15 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया जिसका Y-o-Y growth 11.56% हैं. बैंकों के Total Deposits Rs. 4.53 लाख करोड़ हैं and Y-o-Y growth 13.03% हैं और Outstanding Advances Rs. 3.62 लाख करोड़ है जिसका Y-o-Y growth 9.77% हैं । इस COVID 19 महामारी के समय बैंकों की शानदार उपलब्धि के लिए पुनः धन्यवाद प्रदान किया।

- राज्य का CD Ratio जून, 2020 में 82.10% हैं जो की RBI के बेंचमार्क से ऊपर है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अग्रिमों में 8.96% की Y-o-Y वृद्धि दर्ज की गई है और कृषि क्षेत्र और कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम क्रमशः जून, 2020 तक 10.47% और 11.77% की Y-o-Y वृद्धि हुई है।

- **Annual Credit Plan:** एसएलबीसी राजस्थान ने (Annual Credit Plan) वार्षिक साख योजना वर्ष 2020-21 के लक्ष्य राशि रू 1.89 लाख करोड़ का Approval किया है जो कि गत वर्ष की उपलब्धि से 30.11% अधिक है। जून 2020 तिमाही की कुल लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 24.75% है जो कि संतोष जनक है एवं इन बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं के साथ करेंगे ।

इसके अलावा, मैं उन मुद्दों की ओर बढ़ूँगा जहाँ बैंकर्स को राज्य सरकार के समर्थन की आवश्यकता है:

- Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act, 1974 (RACO-ROD Act) (राजस्थान कृषि ऋण परिचालन (कठिनाइयों को दूर करना) अधिनियम, 1974) के तहत राशि रू. 3062 करोड़ के 1.63 लाख प्रकरण वसूली हेतु लंबित हैं तथा राशि रु. 2186 करोड़ के लगभग 1.12 लाख खाते एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। अत: मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करता हूं

कि वह किसानों को कृषि ऋण के Fast Processing एवं बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करें।

- SARFAESI अधिनियम के तहत दिनांक 30.06.2020 तक राशि रु. 209 करोड़ के 560 प्रकरण जिला प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं, जिनमें से राशि रु. 195 करोड़ के 432 मामले 60 से अधिक दिनों से लंबित हैं अतः राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि समस्त जिला मजिस्ट्रेटस को निर्देशित करें कि SARFAESI अधिनियम के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें ।
- बैंकों के पक्ष में ऑनलाइन कृषि भूमि रहन के लिए झुंझुनु में लॉच किए गए "कृषि ऋण रहन पोर्टल" के पाइलेट प्रोजेक्ट के सफल होने के पश्चात मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करूँगा कि कृषि रहण पोर्टल को पूरे राजस्थान में लागू करावे ताकि बैंकर्स को किसानों को ऋण प्रदान करने में सुविधा हो सके।
- इसके साथ, मैं राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को राज्य में विकास की प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।

तत्पश्चात उन्होने **श्री कुंजीलाल मीना, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार** को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य/ केंद्र सरकार अथवा बैंकों की लापरवाही जैसे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रीमियम जमा करना, आधार कार्ड मिसमैच इत्यादि के कारण अनेक किसान उक्त योजना मे कवर होने से वंचित रह जाते हैं। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि शाखाओं द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी पात्र किसान का डेटा पोर्टल पर अपलोड होने से शेष ना रहे।

उन्होने Agriculture Infrastructure Scheme के तहत ऋण लेने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूमि रहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। राजस्थान सरकार द्वारा मासिक आधार पर बैठक कर उक्त योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा की जा रही है। अतः बैंकों से अनुरोध किया कि आवेदन प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करावें एवं अधिकाधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करें।

साथ ही उन्होने बैंकों से अनुरोध किया बैंक शाखाओं द्वारा ऋण प्रोसेसिंग तीव्र गति से किया जावे जिससे किसानों को अनावश्यक रूप से बार- बार बैंक ना जाना पड़े।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आश्वासन दिया कि Agri Infrastructure Scheme के तहत बैंकों द्वारा अधिकाधिक ऋण प्रदान किए जावेंगे एवं शाखाओं द्वारा ऋण देने में और अधिक सुगमता प्रदान की जावेगी।

तत्पश्चात उन्होने श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री तन्मय कुमार, संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के अंतर्गत 30 सितंबर, 2020 तक समस्त स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने हेतु अनुरोध किया। उन्होने बताया कि उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जयपुर जिले के लिए उन्हे नोडल अधिकारी बनाया गया है। उक्त जिलों में प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के अंतर्गत प्रगति अत्यंत कम है। जिसे बढ़ाने के लिए उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि जिला स्तर पर बैठक आयोजित कर शाखावार प्रगति की समीक्षा की जावे। समस्त पात्र लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के साथ साथ क्यूआर कोड भी प्रदान किया जावे।

तत्पश्चात संयोजक, एसएलबीसी ने **श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड** को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने COVID-19 स्थिति के बीच अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किए जा रहे अपने ईमानदार प्रयासों के लिए सभी बैंकरों और राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

उन्होने बताया कि नाबार्ड के राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय ने केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि को बढ़ाने के लिए 18 सितंबर 2020 को एसबीआई के स्थानीय प्रधान कार्यालय, जयपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा नाबार्ड की विकास पहलों से राज्य में किसानों / एफपीओ / जेएलजी / एसएचजी / कारीगरों / कृषि-लाभार्थियों / कृषि स्टार्ट अप्स आदि जैसे कृषि क्षेत्र के हितधारकों को ऋण प्रदान किए जाने के अवसर निकल कर आएंगे। उन्होने बैंकों को अपने कृषि अवधि ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने हेतु अनुरोध किया, विशेष रूप से एकीकृत कृषि प्रणालियों, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण हेतु बुनियादी ढांचे, कस्टम हायरिंग आदि के लिए ऋण का विस्तार इत्यादि।

2023-24 तक 10,000 किसान निर्माता कंपनियों (CSS-FPOs) के गठन के लिए केंद्रीय योजना के तहत नाबार्ड द्वारा नए एफपीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है। नए एफपीओ के प्रचार और पोषण के लिए राज्य भर में लगभग 52 उत्पादन समूहों की पहचान की गई है। उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु बैंकों से राज्य में सभी पात्र एफपीओ को समय पर पर्याप्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

राज्य के 16 जिलों में एसएचजी के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड की ई-शक्ति परियोजना लागू की गयी है। राज्य में डिजीटल एसएचजी के 100% क्रेडिट लिंकेज को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से अनुरोध किया।

नाबार्ड के परिपत्र सं. 328 दिनांक 31 दिसंबर 2019 के माध्यम से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के तहत प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए मानदंड/ संकेतक परिचालित किए गए। SLBC से अनुरोध किया कि वे इन मानकों के आधार पर समय-समय पर संकेतक और बेंचमार्क मापदंडों के आधार पर प्रगति की निगरानी और समीक्षा करें।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री सी.पी. अग्रवाल, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए.

श्री सी.पी. अग्रवाल, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **141** वीं बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना हेतु समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध है जिसमें से मुख्य कार्यवाही बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख अथवा उसके समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य की समस्त बैंक शाखाओं/क्षेत्रीय/प्रशासनिक कार्यालय के व्यावसायिक लक्ष्य वार्षिक साख योजना (ACP) के साथ संरेखित (align) कर निर्धारित किए जाने चाहिए.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

- अग्रणी जिला प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अपेक्षित कौशलयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए.
- अग्रणी जिला कार्यालय हेतु अलग कार्यालय स्थान एवं एलडीएम द्वारा अपनी मुख्य जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कंप्यूटर, प्रिन्टर एवं डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
- साथ ही एलडीएम को अलग से एक वाहन भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.

- एलडीएम कार्यालय में डेटा प्रविष्टि/ विश्लेषण हेतु कर्मचारी की कमी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. अतः एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उपसमितियों के आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1. वित्तीय समावेशन	07.08.2020
2. एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास	07.08.2020
3. एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ	24.07.2020
4. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	24.07.2020
5. कृषि योजनाओं से संबन्धित तथा फसल की अवधि निर्धारण	19.08.2020
6. डिजिटल भुगतान	07.08.2020
7. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	02.09.2020
8. बकाया ऋण वसूली	Awaited

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 146वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 10वीं बैठक दिनांक 15.09.2020 को आयोजित की गयी।

एसएलबीसी, राजस्थान ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए पहल के तहत दिनांक 24.08.2020 को सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों और सदस्य बैंक के नोडल अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की है। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार हैं:-

- **Rajasthan Agro-Processing, Agri Business and Agri-export promotion Policy, 2019**
- **Agriculture Infrastructure Fund (AIF)**
- **Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojna (MLUPAY)**
- **Priydarshani Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojna**
- **PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)**

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

<u>Key Business Parameters</u>

30 जून, 2020 तक राज्य में कुल 8,154 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 में जून तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 34 शाखाएं खोली गयी हैं।

जमाएँ व अग्रिम: 30 जून, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.03% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 4,52,930 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 9.77% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 3,62,328 करोड़ रहे हैं। जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 12.98%, 15.07%, 2.90% एवं 37.15% रही है तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्माल फाइनेंस एवं सहकारी बैंक वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 8.00%, 9.88%, 106.98% एवं 7.12% रही है. राज्य का साख जमा अनुपात 82.10% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 8.96% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,30,422 करोड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.47% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,09,404 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: 30 जून, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 7.53% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 82,833 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 जून, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.77% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 74,928 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 जून, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.77% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 74,928 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** के अग्रिम 63.59%, कृषि क्षेत्र को 30.19%, कमजोर वर्ग को 20.68%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 15.10% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 22.86% रहा है.

राजस्थान के नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के 30 जून, 2020 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये.

संयोजक, एसएलबीसी ने तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 4</u>

<u>Unbanked Rural Centres (URC)</u>

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 119 बैंकरहित गांवों की सूची दिनांक 15.07.2020 को प्रेषित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 03.09.2020 को शेष रहे 78 बैंकरहित गांवों की सूची प्रेषित की गयी जिनमें से 13 गांवों को कवर किया जा चुका है। शेष रहे 65 गांवों में से अधिकतर बार्डर क्षेत्र पर स्थित गाँव हैं जहां पर सुरक्षा कारणों से बीसी का चयन नहीं किया जा पा रहा है।

प्रतिनिधि, आरएमजीबी ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक को आवंटित गांवों में उनके बैंक कि मोबाइल वैन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

प्रतिनिधि, एसबीआई ने बताया कि उक्त आवंटित गांवों में से 18 गांवों में बैंक मित्र लगाए जा चुके हैं तथा शेष गाँव बार्डर क्षेत्र में होने के कारण बीसी लगाने में छूट प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर से लिखित में अनुमोदन प्राप्त होते ही एसएलबीसी को सूचित कर दिया जावेगा।

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा जैसलमेर के अग्रणी जिला प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा आरएमजीबी की वैन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने को आधार मानते हुए उक्त गांवों को कवर माना जावे।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त मुद्दे के जल्द से जल्द निस्तारण हेतु अनुरोध किया।

District Level Implementation Committee for the Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) within the overall Aspirational Districts Programme (ADP) of NITI Aayog:

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि आशान्वित जिलों (Aspirational Districts) में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 13.07.2020 से Aspirational Districts Programme (ADP) के संयोजन में चयनित आशान्वित जिलों में Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) चलाया है। उक्त TFIP अभियान राजस्थान में बारां एवं जैसलमेर जिले में चलाया गया है।

DLIC की Terms of References (TOR) इस प्रकार होंगी:

- एनएलएससी के समग्र मार्गदर्शन में जिले में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार टीएफआईआईपी का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन।
- डीएफएस की प्रगति पर नियमित रिपोर्टिंग
- क्षेत्र स्तर की चुनौतियों से निपटने के लिए साप्ताहिक बैठकों का आयोजन।

दोनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहली DLIC बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई:

- बारां - 06.08.2020, 20.08.2020, 10.09.2020
- जैसलमेर - 19.08.2020

<u>सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY, APY के तहत दिनांक 30.06.2020 तक क्रमशः 7687103, 2403214 एवं 945316 नामांकन किए गए।

अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिसका विवरण निम्नानुसार है :

	Progress as on 30.06.2020						
	Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 30.06.2020	% Ach.
Atal Pension Yojana: DFS, MoF, GoI, vide their letter no. file no. 16/7/2015-PR (PT) dated 01.06.2020 and PFRDA vide e-mail dated 02.06.2020 had informed target for the F.Y.2020-21 based on the number of branches of each bank	PSB		4194	60	251640	13140	5.22
	Private	HDFC, Axis, ICICI and IDBI	921	60	55260	111	0.20
		Other Private Banks	576	30	17280	88	0.51
	RRB		1553	50	77650	6510	8.38
	Co-Op.		460	20	9200	0	0.00
	Small Finance Bank		305	50	15250	1	0.01
	State as a Whole		8009	-	426280	19850	4.66
	* Sorces PFRDA						

राज्य में कुल 4,26,280 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.06.2020 तक 19850 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 4.66% रही है। जो कि बहुत ही चिंतनीय है ।

पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से निरंतर अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी निम्न बैंकों की जून - 2020 तक की प्रगति बेहद चिंतनीय है:
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक - 0 (0.00%)
एयू स्माल फाइनेंस बैंक - 01 (0.01%)
आईसीआईसीआई बैंक - 50 (0.17 %)
एचडीएफसी बैंक - 04 (0.03%)

(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक)

प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने बताया कि तकनीकी समस्या को दूर किया जा चुका है एवं आगामी तिमाही में उक्त योजनानतर्गत प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया।

प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि उनके बैंक द्वारा दिनांक 01.09.2020 से अभियान चलाया गया है।

प्रतिनिधि, एचडीएफ़सी बैंक ने भी आगामी तिमाही में उक्त योजनानतर्गत प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया।

Identification of one Digital District-

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के महत्वाकांशी जिलों में से एक जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है। इस संबंध में एसएलबीसी, राजस्थान ने पत्रांक ज.अं./एसएलबीसी/2020-21/480 दिनांक 10.08.2020 के माध्यम से समस्त सदस्य बैंकों एवं राजस्थान सरकार से करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु रोडमैप प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया लेकिन आज दिनांक तक राजस्थान सरकार द्वारा उक्त रोडमैप प्रेषित नहीं किया गया है।

प्रतिनिधि, डीओ&आईटी, राजस्थान सरकार ने 15 दिन में उक्त रोडमैप प्रेषित करने का आश्वासन दिया।

मुख्य प्रबन्धक, एसएलबीसी ने अनुरोध किया कि करौली जिले में छारेड़ा, करणपुर एवं हाड़ौती में कनेक्टिविटी की समस्या जल्द दूर करवाने हेतु डीओ&आईटी, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया।

Progress of 100 % Digital District - Karauli - Comparision from March 2020 to June 2020

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)					Digital coverage for business (Current Accounts)			For non-customers	Digital Financial Literacy	
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI, USSD	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	Total POS/ QR (A+B+C) other than CA holders	No. of FLC camps on Digital FL	No. of people participated
1	Mar-20	1453457	67.29	8.25	20.58	68.56	12094	20.37	23.26	192	268	10694
2	Jun-20	1416087	75.62	8.84	23.51	77.03	12617	28.58	29.21	828	102	2003

Progress of 100 % Digital State - Rajasthan - Comparision from March 2020 to June 2020

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)					Digital coverage for business (Current Accounts)			For non-customers	Digital Financial Literacy	
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI, USSD	Total No. of Operative CA Accounts	% Net banking Coverage	% of POS/ QR coverage	Total POS/ QR (A+B+C) other than CA holders	No. of FLC camps on Digital FL	No. of people participated
1	Mar-20	72023952	58.51	9.61	15.39	63.26	1598321	33.73	8.66	87362	4785	191175
2	Jun-20	76521335	60.76	10.82	16.17	64.17	1608216	34.02	9.39	97220	183	3263

एजेण्डा क्रमांक - 5

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति:

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,89,281 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जून, 2020 तिमाही तक राशि रू 46,848 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 24.75% उपलब्धि है. कृषि में 27.79%, सूक्ष्म, लघु व

मध्यम उद्यम क्षेत्र में 25.30% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 5.39% की उपलब्धि दर्ज की गई है। वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2020.21 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष जून, 2020 तिमाही तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 22.55%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 36.89%, सहकारी बैंक ने 31.68% तथा स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 1.66% की उपलब्धि दर्ज की है।

वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब एंड सिंध बैंक (1.02%), एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक (1.14%), राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (4.37%), इंडसइंड बैंक (4.58%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (4.61%), आईडीबीआई बैंक (5.24%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (5.87%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (13.51%), एक्सिस बैंक (14.34%) है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा इस वर्ष वार्षिक साख योजना के लक्ष्य प्राप्ति करने का आश्वासन प्रदान किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत कम उपलब्धि वाले बैंकों से अनुरोध किया कि आगामी तिमाही में उपलब्धि हेतु प्रयास करें।

(कार्यवाही : समस्त संबन्धित सदस्य बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क को प्राप्त करने हेतु समस्त बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण है। अतः उक्त बैंकों को राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।

साथ ही वार्षिक साख योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों। जैसे कि वार्षिक साख योजना के तहत एमएसएमई क्षेत्र को प्रदत्त लक्ष्य पीएम टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित पैरामीटर मिलान करना इत्यादि ।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि एनआरएलएम योजनांतर्गत दिनांक 31.08.2020 तक राज्य में 434 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) एवं 11,923 ग्राम संगठन (VO) कार्यरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत वर्ष 2020-21 के 67,470 एसएचजी वित्त पोषित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 14,708 एसएचजी वित्त पोषित किए गए है जो कि 21.80% उपलब्धि है।

एसएमडी, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, बीआरकेजीबी एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। अन्य बैंकों की प्रगति कि समीक्षा करने हेतु उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया।

उन्होने बताया कि वर्ष 2020-21 में प्रति समूह औसत ऋण राशि रु. 0.69 लाख है जो कि राष्ट्रीय औसत रु। 1.08 लाख से काफी कम है जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

उन्होने उक्त योजनांतर्गत लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु बैंकों से अनुरोध किया। साथ ही बताय अकि शाखाओं द्वारा आवेदनों को अस्वीकृत करने का कारण तर्कसंगत हो। अनुचित कारणों से कोई आवेदन लौटाया ना जावे।

उन्होने यूको बैंक द्वारा एसएचजी के समस्त सदस्यों को शाखा में बुलाए जाने की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया। इस संबंध में प्रतिनिधि, यूको बैंक ने सूचित किया कि उनके सिस्टम की तकनीकी समस्या को सुधारा जा चुका है एवं समस्त शाखाओं को निर्देशित कर दिया है कि एसएचजी के समस्त सदस्यों को शाखाओं में नहीं बुलाया जावे।

उन्होने बताया कि एनआरएलएम के एसएचजी का NPA लगभग नगण्य है एवं शेष एसएचजी के एनपीए की वसूली के लिए उनके विभाग के फील्ड कार्यकर्ता बैंकों का सहयोग करने के लिए तयार है। अतः उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि एसएचजी के एनपीए खातों की जानकारी उनके विभाग को उपलब्ध करवाएँ।

राष्ट्रीय मिशन प्रबन्धक- वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार ने बताया कि राज्य का एसएचजी खातों में एनपीए 2.5% है। साथ ही बताया कि भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत कार्य किया जा रहा है एवं आगामी तिमाही में अच्छी प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि NRLM मॉडल काफी अच्छा मॉडल है जिसमें एनपीए नगण्य है। बैंकों द्वारा defunct हो चुके एसएचजी खातों को बंद किया जाना चाहिए। नाबार्ड के ई-शक्ति प्रोजेक्ट की सहायता से उक्त खातों को बंद किया जा सकता है जिसकी प्रगति की समीक्षा एसएलबीसी द्वारा की जानी चाहिए।

<u>स्वयं सहायता समूह (SHG)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि 30 जून, 2020 तक समस्त सदस्य बैंकों द्वारा 3,51,576 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है तथा 80,843 एसएचजी को क्रेडिट लिंक किया गया है एवं राशि रू 744.79 करोड़ का ऋण बकाया है।

दिनांक 30.06.2020 तक बीआरकेजीबी, आरएमजीबी एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के बकाया बचत खाते (outstanding SB A/c) क्रमशः 82,805 SHG, 45,300 SHG एवं 97,275 SHG के खाते है एवं इसके सापेक्ष केवल 17,326 SHG, 4,807 SHG एवं 13,007 SHG को वित्तपोषित किया गया है जो

कि एसएचजी के खोले गए बचत खातों की तुलना में वित्तपोषण बहुत ही कम है उक्त एसएचजी को पात्रतानुसार वित्तपोषित करने हेतु अनुरोध है ।

(कार्यवाही : बीआरकेजीबी, आरएमजीबी एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक)

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत दिनांक 31.07.2020 तक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 9041 के लक्ष्य है. जिसमें से 7055 व्यक्तियों, 414 समूहों एवं 1572 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 30.06.2020 तक उपलब्धि क्रमशः 334, 0 एवं 51 रही है.

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि योजनांतर्गत गुणवत्ता वाले आवदेन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें एवं एक शाखा में समान प्रकार के व्यवसाय आवेदन पत्र प्रेषित नहीं करने हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित करें एवं बैंक शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्रेषित करें ।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

पीएमईजीपी योजनान्तर्गत राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 80.94 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 30.06.2020 तक राशि रू 18.30 करोड़ (Disbursement) उपलब्धि रही है जो कि 22.61% है ।

उक्त योजनांतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, केनरा बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रगति अच्छी रहने से सूचित किया।
एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, बीआरकेजीबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरएमजीबी, एसबीआई एवं पंजाब नेशनल बैंक की प्रगति कम रहने से सूचित किया।

प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि उनके बैंक को प्राप्त समस्त आवेदनों की निगरानी अंचल कार्यालय स्तर से की जा रही है एवं शाखाओं को आवेदन अस्वीकृत करने की पावर withdraw कर ली गयी है। अतः आगामी तिमाही में अच्छी प्रगति परिलक्षित होने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, बीआरकेजीबी एवं आरएमजीबी ने भी आगामी तिमाही में अच्छी प्रगति परिलक्षित होने का आश्वासन दिया।

मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई ने बताया कि पिछली तिमाही में लॉकडाउन के कारण कार्य नहीं हो पाया था लेकिन अब कार्य शुरू किया जा चुका है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने केवीआईसी विभाग से अनुरोध किया कि बैंकों से व्यक्तिगत रूप से फॉलो अप करें। उन्होने उक्त योजनांतर्गत बैंकों द्वारा की जा रही प्रगति की सराहना की।

Mukhya Mantri Laghu Udyog Prothsahan Yojana (MLUPY)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के तहत 10,000 खातों का लक्ष्य प्रदान किया गया है जिसके सापेक्ष दिनांक 31.08.2020 तक 471 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि समस्त पात्र लोगों को ऋण प्रदान करें एवं स्वीकृत किए गए ऋणों का वितरण शीघ्र सुनिश्चित करें।

Indira Mahila Shakti Udyam Protshan Yojna

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि दिनांक 17.09.2020 तक 212 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया है।

अतिरिक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करें कि इस योजना के लिए जिले कि समस्त शाखाओं को जागरूक करें।

संयोजक, एसएलबीसी ने बताया कि उक्त योजना हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धकों को लक्ष्य प्रदान किए जा चुके हैं एवं दिनांक 24.08.2020 को कार्यशाला भी आयोजित की गयी है।

Special Central Assistance Scheme SC/ST

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 20,200 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.08.2020 तक मात्र 1052 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 5.21% उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में 390338 खातों में कुल 3,238 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्माल फ़ाईनेन्स बैंकों द्वारा उक्त योजनांतर्गत अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए है। समस्त नियंत्रक सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य पोर्टल पर अपलोड करें एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समुचित कार्ययोजना बनाएं।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)</u>

बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में जून 2020 तक 27,736 इकाइयों को राशि रू 354 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2020 तक 3247 इकाइयों को 43 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है, एसबीआई द्वारा 1913 इकाइयों को 40 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2020 तक केवल 11,213 इकाइयों को राशि रू 221 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

एनएचबी से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2020 तक केवल 12150 इकाइयों को राशि रू 241 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। HUDCO से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2020 तक केवल 1489 इकाइयों को राशि रू 24 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>Emergency Credit Line (ECL - 10%) to Agriculture, MSMEs and Other's</u>

दिनांक 05.09.2020 को **<u>Emergency Credit Line (ECL - 10%)</u>** के तहत एजेन्सीवार प्रगति निम्नानुसार है:

Details of Loan sanctioned under Emergency Credit Line (ECL) to Agriculture, MSMEs and Other's under COVID-19 Pandemic from 01.04.2020 to 05.09.2020

(Amt. In Cr)

Sr. No.	Banks	Agriculture		MSMEs		Other Loans		Total Loans (Agriculture, MSMEs and Others)	
		A/c	Amount	A/c	Amount	A/c	Amount	A/c	Amount
A	Public Sector Bank	524024	1675	54547	1408	18524	259	597095	3342
B	Private Sector Banks	31875	274	30103	2840	370	32	62348	3145
C	Regional Rural Bank	26947	319	2499	95	534	5	29980	420
D	Cooperative Sector Bank	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Small Finance Bank	0	0	0	0	5	0	5	0
Grand Total		582846	2268	87149	4343	19433	296	689428	6908

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS - 20%)

दिनांक 11.09.2020 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत एजेन्सीवार प्रगति निम्नानुसार है:

Performance under Emergency Credit Line Gurantee Scheme (ECLGS) under MSME Package of GoI as on 11.09.2020

Amt in Cr

Sr. No.	Banks	Total MSME o/s of Major Banks as on 29.02.2020		Eligible Accounts of MSME		20% of eligible amt.	Cumulative Sanction progress		Cumulative Disbursement upto	
		A/C	AMT	A/C	AMT	AMT	A/C	AMT	A/C	AMT
1	Public Sector Bank	343973	34939	208047	23728	4746	121258	3468	82287	2991
2	Private Sector Bank	312893	26658	49590	16789	3358	30200	2880	11953	1919
3	Regional Rural Bank	35451	444	15651	429	86	97	0	97	0
	Small Finance Bank	135775	7529	63207	4372	874	3570	157	1882	88
	Total	828092	69571	336495	45319	9064	155125	6505	96219	4999

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त योजनांतर्गत अधिकाधिक ऋण प्रदान करें।

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में दिनांक 17.09.2020 तक 8075 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें रु. 61.97 लाख वितरित किए गए हैं।

Progress of Major Banks under PM-SVANidhi Scheme in Rajasthan as on 17.09.2020

Sr. No.	Bank	Application Sanctioned	Application In Process	Application Rejected	Application Pending	Total Disbursed Amt (in Lacs)
1	State Bank of India	2422	834	643	4126	3.59
2	Punjab National Bank	1472	1110	268	311	0.40
3	Bank of Baroda	1026	2149	362	1	0.40
4	Bank of India	741	222	60	23	8.20
5	Central Bank of India	448	266	59	106	4.10
6	Canara Bank	353	243	54	284	22.85
7	Indian Bank	313	162	31	95	1.20
8	UCO Bank	307	335	43	224	8.80
9	Union Bank of India	202	335	79	752	5.33
10	Indian Overseas Bank	45	165	17	81	0.10
11	Punjab and Sind Bank	44	37	1	13	0.30
12	Bank of Maharashtra	38	80	5	25	2.30
13	RMGB	31	87	18	140	0.00
14	BRKGB	20	274	49	195	0.50
15	ICICI Bank	16	94	43	298	0.00
16	IDBI Bank	14	72	12	42	0.20
17	IndusInd Bank	2	2	9	21	0.00
18	Kotak Mahindra Bank	1	12	23	85	0.00
19	Axis Bank	0	35	14	146	0.00
20	HDFC Bank	0	84	33	138	0.00
21	AU Small Finance bank	0	4	4	26	0.00
22	Banks Not Alloted	557	316	1214	9041	3.60

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि काफी संख्या में आवेदन पोर्टल पर मार्केट प्लेस पर अद्यतित किए गए हैं। उक्त आवेदन किसी भी बैंक को आवंटित नहीं किए गए हैं। इस कारण से किसी भी बैंक शाखा द्वारा उक्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। अतः उक्त आवेदनों को बैंकों को आवंटित करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग से अनुरोध किया।

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि उक्त पोर्टल पर आवेदन बैंक शाखा को आवंटित करने कि power संबन्धित जिले के अग्रणी जिला प्रबन्धक को प्रदान की जावे।

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि काफी संख्या में आवेदन अस्वीकृत भी किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कई बार minor issues यथा उपयुक्त केवाईसी उपलब्ध नहीं होना इत्यादि के कारण बैंक शाखा को आवेदन निरस्त करना पड़ता है।

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने स्वायत्त शासन विभाग से अनुरोध किया कि category A & B के आवेदन अधिक संख्या में प्रेषित किए जावे जिससे वितरण शीघ्र किया जा सके।

Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt for stressed MSMEs (CGSSD)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने उक्त योजनांतर्गत प्रगति निम्नानुसार बताई:-

Finance under Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) Weekly reporting format

as on 31.08.2020 Amount (Rs. In Crores)

Sr. No.	MLIs	No. of Eligible borrowers in SMA2/NPA as on 30.4.2020	Promoters Stake (debt plus equity) as per last audited Balance Sheet (in Rs crore)	Total Eligible Amount = Lower of 15% of Promoters Stake and Rs 75 lakh (in Rs Crore)	Borrowers who have been contacted		Borrowers who have responded positively		Cummulative Sanctions		Cummulative Disbursement	
		Accounts	Amount	Amount	Accounts	Amount	Accounts	Amount	Accounts	Amount	Accounts	Amount
1	Public Sector Banks	247	53.72	5.92	247	38.62	33	3.43	17	0.42	0	0.00
2	Private Sector Banks	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Grand Total	247	53.72	5.92	247	38.62	33	3.43	17	0.42	0	0.00
	* Above data received from 16 Banks. Remaining banks are requested to submit the data to SLBC.											

Campaign for saturation of all PM-KISAN beneficiaries with KCC

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गयी है कि पूरे देश में 2.50 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किया जावेगा जिसके तहत मिशन मोड में कार्य कर रु. 2.00 लाख करोड़ का ऋण farm sector को प्रदान किया जावेगा।

उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रांक 3/12/2020-AC दिनांक 29.05.2020 के माध्यम से समस्त सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया कि समस्त PM-Kisan योजना के लाभार्थियों को केसीसी ऋण प्रदान किया जाना है। साथ ही बताया कि 1.50 करोड़ कृषक पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि से जुड़े हुए हैं, को नई केसीसी ऋण प्रदान करने के लिए दिनांक 01.06.2020 से 30.09.2020 तक विशेष अभियान चलाया है।

उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि लंबित आवेदनों का निस्तारण दिनांक 30.09.2020 तक करना सुनिश्चित करावें। उक्त अभियान के तहत दिनांक 11.09.2020 तक की प्रगति निम्नानुसार है:-

Particulars		A/c	Amt. (in Cr.)
KCC (Crop Loan)		347660	9815.19
Farmers with AH or Fisheries Activities	KCC (Crop Loan) with dairy activity	9385	96.76
	KCC (Crop Loan) with any other allied activities	8409	24.77
Only Animal Husbandry	Dairy	56253	570.78
	Poultry	26	1.25
	Others	9	1.43
Fisheries		1	0.20
Total		421743	10510.38

Staus of Animal Husbandry Application submited by Milk Unions on PMFBY portal as on 16.09.2020

Sr. No.	State	Total Applicactions submitted by Milk Unions	Application Received by Banks on Portal	Application Not Received by Banks on Portal	Application where No Action Taken by Banks	Application Approved by Banks on Portal	Application Rejected by Banks on Portal	Application pending at Bank Level
1	Rajasthan	526530	178121	121753	226656	27372	89189	61560

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स कम किए जाने का प्रकरण एसएलबीसी की उपसमिति (कृषि से संबन्धित योजना) की दिनांक 19 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा की गई । जिसमें केवल अब 3 जिलों यथा जालौर, उदयपुर एवं श्रीगंगानगर में कार्यवाही प्रतीक्षित है। जालौर जिलें में पशुपालन के लिए स्केल ऑफ फाइनेन्स निर्धारित की जा चुकी है।

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक प. 1(3) कृषि-1/एम.सी./2020 दिनांक 30.06.2020 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2020 व रबी 2020-21 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है। जो कि राजस्थान के 33 जिलों मे क्रियान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में फ़सली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवम बंटाईदार कृषको द्वारा फसलों का बीमा किया गया है।

पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2020 के अंतर्गत दिनाँक 31.08.2020 तक केंद्रीय पोर्टल पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Particulars	**Kharif - 2020 (As on 31.08.2020)**
NET Crop wise Policy (Nos.)	67.24 Lacs
Insured Area	73.38 Lacs Hac.
Total sum insured (Amount)	Rs. 20503.78 Crore
Farmer's Share in premium (Amount)	Rs. 431.82 Cr.

- आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक 6(iii)/आ.कृ./फ.बी./20() 2020/4683 दिनांक 31.08.2020 ने बैंक वार मामलों का विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया है जो विभिन्न कारणों से खरीफ 2020 के लिए NCIP पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं।

एसएलबीसी, राजस्थान ने सभी सदस्य बैंकों से पत्र संख्या ज.अ./एस.एल.बी.सी./2020-21/562 दिनांक 31.08.2020 के माध्यम से उक्त विवरण प्रेषित करने के लिए निर्देश प्रदान किए थे जो कि आज दिनांक तक प्रतीक्षित हैं।

- उपायुक्त (क्रेडिट), कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11016/02/2018-Credit-II दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से चुरू एवं हनुमानगढ़ के उन किसानों का डेटा चाहा है जिनका डेटा Kharif 2017, Rabi 2017-18, Kharif 2018, Rabi 2018-19, Kharif 2019 and Rabi 2019-20 में एनसीआईपी पोर्टल पर अद्यतित नहीं किया गया है।

एसएलबीसी, राजस्थान ने पत्र संख्या JZ:SLBC:2020-21:597 दिनांक 09.09.2020 के माध्यम से सभी सदस्य बैंकों से उक्त विवरण प्रेषित करने के लिए निर्देश प्रदान किए।

- CEO PMFBY, भारत सरकार ने पत्रांक 13017/03/2020-Credit-II FTS No. 86881 दिनांक 09.09.2020 ले माध्यम से पीएमएफबीवाई और आरसीबीसीआईएस के तहत समस्याओं / गलतियों / त्रुटियों / चूक के कारण उत्पन्न अतिरिक्त दावों के निपटान के लिए समिति के गठन हेतु अनुरोध किया है।

इस संबंध में, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने पत्र संख्या F. No. 6(iii)Cag./CI/SLBC//20()/2020-21/5403-17 Dated 17.09.2020 के माध्यम से ऐसे मामलों की जानकारी दिनांक 25.09.2020 तक एसएलबीसी को प्रस्तुत करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया है।

एसएलबीसी राजस्थान ने सभी सदस्य बैंकों से पत्र संख्या JZ:SLBC:2020-21:645 Dated 19.09.2020 के माध्यम से दिनांक 24.09.2020 तक उक्त विवरण प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया।

आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित मुद्दों से सदन को अवगत करवाया:-

- जिन खातों में आधार कार्ड मिसमैच के कारण पोर्टल पर डेटा अद्यतित नहीं किया जा पा रहा है उनकी जानकारी कृषि विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित करें जिससे उनके विभाग के supervisor द्वारा किसान के घर जाकर अपडेटेड आधार कार्ड एकत्रित कर शाखा को उपलब्ध करवाया जावेगा। अभी तक सिर्फ 3 जिलों से उक्त सूचना प्राप्त हुई है।
- बैंक शाखा में केसीसी खाता renew करते समय आधार कार्ड से जानकारी अपडेट की जावे।
- खरीफ 2020 की शेष एंट्री का डेटा reconcile कर उनके विभाग को प्रेषित किया जावे।
- रबी 2020 की एंट्री के लिए पोर्टल 01.10.2020 से खुल जावेगा। ऋणी किसानों को योजना से बाहर निकालने (opt out) के लिए जिस शाखा में केसीसी खाता है वहाँ उक्त घोषणा पत्र देना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 08.12.2020 है।
- कुछ बैंक शाखाओं द्वारा बीमा कंपनी को पॉलिसी delete करने हेतु अनुरोध किया जाता है एवं बीमा कंपनी द्वारा बिना verify किए पॉलिसी delete कर दी जाती है, जो कि सही नहीं है। भविष्य में इस तरह के प्रकरण की पुनरावरिटी नहीं होनी चाहिए।
- पोर्टल पर शेष रहे डेटा अद्यतन हेतु पोर्टल को दुबारा खोला जाने पर अधिकांश एंट्री उन फसलों के लिए होती है जिनमें क्लेम का पैसा बनता है, जो कि अनुचित है।
- भारतीय स्टेट बैंक की ओसियां शाखा द्वारा पीएमएफ़बीवाई के तहत प्रीमियम का पैसा समय पर जमा नहीं करने के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के निर्देश एसबीआई को दिये गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक उक्त किसानों को भुगतान नहीं किया गया है।

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके द्वारा उक्त मुद्दे की जांच की जा रही है। 1 माह के भीतर बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया।

दिनांक 05.06.2020 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति में आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने टाटा एआईजी को निर्देशित किया कि खरीफ 2018 के तहत रिफ़ंड किए गए प्रीमियम में से जिन पॉलिसी का डेटा गाँव/ तहसील मिसमेच के कारण रिजेक्ट हुआ है, वह डेटा स्वीकार किया जावे। उन्होने बताया कि पीएमएफ़बीवाई के निर्देशानुसार क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु समस्त फसल बीमा कंपनियों को निर्देशित किया।

(कार्यवाही: टाटा एआईजी एवं समस्त फसल बीमा कंपनियाँ)

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

बैंकों द्वारा वर्ष 2020-21 में जून तिमाही तक राज्य में 1076 छात्रों को राशि रू 35.04 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 46,586 छात्रों पर बकाया राशि रू 1,960.32 करोड़ है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 614 खातों में रु 18.91 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

Doubling of Farmers Income by 2022

केंद्रीय बजट 2016-17 में भारत सरकार ने किसानों की आय को दुगुना करने की घोषणा की थी। इस संबंध में आरबीआई ने अग्रणी बैंकों को निम्नानुसार निर्देशित किया है:-

- बैंकों द्वारा नाबार्ड के साथ मिलकर संभावित लिंक योजनाओं (PLPs) एवं वार्षिक साख योजनाओं को ध्यान में रख कार्य किया जावे।
- एसएलबीसी, डीसीसी, डीएलआरसी एवं बीएलबीसी की बैठकों में लीड बैंक योजना के तहत नियमित एजेंडा के रूप में "2022 तक किसानों की आय दुगुना करना" शामिल किया जावे।
- प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा हेतु नाबार्ड द्वारा प्रदत्त मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है।

किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के कार्यबिन्दु पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (कृषि से संबन्धित योजनाओं) की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। उप समिति में निम्न सुझाव दिये गए:-

- किसानों को नियमित कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि हेतु प्रेरित करें।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं यथा डीईडीएस, कृषि व्यवसाय, एग्री क्लीनिक एवं एएमआई योजना इत्यादि।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को वर्तमान स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स के अनुसार ऋण प्रदान किया जावे।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान किया जावे।
- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय वृद्धि हेतु निम्नलिखित योजनाएँ चलायी जा रही हैं:-
    1. Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019
    2. Scheme for formalization of Micro food processing Enterprises (FME)
    3. Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019

राजस्थान सरकार ने किसानों और कृषि उद्यमियों की आय बढ़ाने और परेशानी मुक्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए नीचे दी गई पहल की है:

- वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम ईकाई एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के वित्त पोषण के लिए आवश्यक पंजीकृत बंधक (Registered Mortgage) पर देय स्टांप ड्यूटी के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या No.F.2(97)FD/Tax/2010-220 दिनांक 26.08.2020 जारी की है।

- राजस्थान सरकार ने अधिसूचना संख्या F6(26) Revenue-6/14/70 दिनांक 09.09.2020 जारी की है जिसके माध्यम से खातेदार tenant द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने हेतु 10 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि का रूपान्तरण किए जाने की आवश्यकता को समाप्त किया गया है।

एजेंडा क्रमांक- 6

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

राज्य के समस्त जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार है:

100% से अधिक 6 जिलों में,	71%-100% 14 जिलों में,
61%-70% 4 जिलों में,	51%-60% 7 जिलों में,
41%-50% 2 जिले में	40% से कम शून्य जिले में है.

राज्य में दिनांक 30.06.2020 तक 60% से कम साख जमा अनुपात वाले बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक एवं यूको बैंक है।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

NPA Position

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जून, 2020 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 3,62,328 करोड़ है तथा कुल एनपीए ऋण राशि रू 16,230 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.48% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 8.92%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 3.88%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 1.90% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 5.94% है.

जून 2019 में कुल एनपीए 4.34% था जो कि जून 2020 में बढ़कर 4.48% हो गया है. जून 2019 में कुल कृषि ऋण एनपीए 8.14% था जो कि जून 2020 में बढ़कर 8.92% हो गया है. जून 2019 में कुल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ऋण में एनपीए 3.83 % था जो कि जून 2020 में बढ़कर 3.88 % हो गया है तथा जून 2019 में कुल प्राथमिकता प्राप्त ऋण में एनपीए 5.54 % था जो कि मार्च 2020 में बढ़कर 5.94% हो गया है।

सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली

राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 30.06.2020 तक कुल 560 प्रकरण राशि रू 209 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 432 मामले राशि रू 195 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक समय से लंबित हैं एवं

राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,63,494 प्रकरण राशि रु 4,274 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 111,703 प्रकरण राशि रु 2,186 करोड़ के 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं।

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों को मासिक लक्ष्य आवंटित करने हेतु राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि जिला कलेक्टर की डीएलआरसी/डीएलसीसी बैठकों में सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करें ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

एजेंडा क्रमांक- 8

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u>

राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 30.06.2020 तक कुल व्यवस्थापन दर 71.65% रहने से सूचित किया. उन्होने बताया कि राज्य में 21 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 2 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 9 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है. शेष 5 आरसेटी के लिए भूमि आवंटन के प्रकरण लंबित है।

<u>R-SETI Building Construction</u>

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : यू ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने बताया कि जिला प्रशासन, सवाई माधोपुर के द्वारा वैकल्पिक भूखंड चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है । जिला प्रशासन सवाई-माधोपुर के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है ।

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक

जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने राज्य सरकार ने 2011 में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित की और निर्माण के बाद, संस्थान स्वयं के भवन से चल रहा है। अब 8,59,320/- रुपये की लेखापरीक्षा मांग के अनुसार, बैंक ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की, राज्य सरकार से कार्यवाही प्रतीक्षित है।

बैठक के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी: उक्त भूमि आवंटन के मुद्दों के लंबे समय से लंबित रहने के कारण यदि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि वापस ले ली जाती है तो उक्त प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए संबन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्र</u>

विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से जून 2020 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 18 एवं पार्ट बी के लिए 59 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है। संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी: उनके कार्यालय द्वारा समसंख्यक अ.शा.टीप. दिनांक 03.02.2020 व पत्र क्रं. प 25(1) आयो/सं.वि./2020 दिनांक 04.09.2020 के माध्यम से उक्त प्रकरण को निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा संयुक्त बैठक करने हेतु अनुरोध किया है लेकिन अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है।

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र दिनांक 04.09.2020 के माध्यम से पुनः उक्त प्रकरण को निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार प्रेषित किया है।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वर्तमान में एसएलबीसी वेबसाइट पर त्रैमास की समाप्ति के 15 दिवस के अंदर बैक से संबन्धित आंकड़े अद्यतन करना सुनिश्चित करने हेतु समस्त सदस्य बैंकों को निर्देशित किया। *.* Txt file अभी तक केवल 10 बैंकों से ही प्राप्त हुई है।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि एसएलबीसी कि उपसमितियों की बैठक में समस्त हितधारकों यथा केंद्र व राज्य सरकार एवं बैंकों इत्यादि के सक्षम अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि उन बैठकों में प्रत्येक मुद्दे पर गहराई से चर्चा की जा सके एवं एसएलबीसी कि त्रैमासिक बैठक में नीतिगत मुद्दों पर सार्थक एवं सारगर्भित चर्चा की जा सकें व निर्णय लिया जा सके।

साथ ही उन्होने बताया कि वित्तीय साक्षारता को बढ़ाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रश्नावली (questionnaire) तैयार की गयी है उसको समस्त बैंक शाखाओं के माध्यम से स्कूल विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए समस्त बैंकों को निर्देश प्रदान किए।

पीएमईजीपी योजना के संबंध में उन्होने बताया कि बैंकों द्वारा उक्त योजना में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। योजना से संबन्धित संरचनात्मक मुद्दों को केवीआईसी विभाग द्वारा सुलझाया जाना चाहिए जिससे और अच्छी प्रगति परिलक्षित हो सके।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को विभिन्न तरीकों से राहत प्रदान की है यथा वित्तीय तरलता, मोरेटोरियम बढ़ाया जाना, one time restructuring इत्यादि। अतः बैंकों द्वारा उक्त योजनाओं का लाभ उठा कर अधिकाधिक MSMEs को लाभान्वित किया जाना चाहिए।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन के समक्ष सभी मुद्दों पर सार्थक रूप से चर्चा करने पर सभी बैंकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री योगेश अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया. साथ ही आश्वासन प्रदान किया कि बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

****